रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2010/आषाढ़ 15, 1932
No. 378] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2010/ASADHA 15, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 584(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस प्रकाशन और मुद्रण काडर भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रकाशन और मुद्रण काडर में कतिपय समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (प्रकाशन और मुद्रण काडर) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सलंग्न वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.—** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड–III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहॉं केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉं वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निरीक्षक (संपादक)	01* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 2; 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
20 से 25 वर्ष के बीच 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु– सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण में डिप्लोमा	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मुद्रणालय में समतुल्य या सदृश पर धारण किए हुए है और जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन विहित अर्हता है

	टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल (यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता न कर रहें हों) – सदस्य 3. कमांडेन्ट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 4. उप कमांडेन्ट या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. हैड कांस्टेबल (कम्पोजिटर)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1; 5200–20200 रू0, + ग्रेड वेतन 2400 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** i) ऐसे कार्मिक जो समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें किसी मुद्रणालय का तीन वर्ष का अनुभव है। ii) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिन्होंने पॉच वर्ष नियमित सेवा की है। उनके पास मुद्रणालय में कम्पोजिंग कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

	टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. कमांडेन्ट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप कमांडेन्ट/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. हैड कांस्टेबल (फीडर/मशीन प्रचालक)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड–1; 5200–20200 रू0, + ग्रेड वेतन 2400 रू0	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिन्होंने पॉच वर्ष नियमित सेवा की है और उनके पास किसी मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **टिप्पण.—** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा : i) ऐसे कार्मिक जो समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं। जिन्हें किसी मुद्रणालय में हाथ से फीडिंग या प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव है। ii) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिन्होंने पॉच वर्ष नियमित सेवा की है। उनके पास किसी मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **टिप्पण 1.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 3.—** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. कमांडेन्ट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. उप कमांडेन्ट/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कांस्टेबल (जिल्दसाज)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड– 1; 5200–20200 रू0, ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
18 से 25 वर्ष के बीच 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण.— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		

(8)	(9)	(10)
आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य तथा जिल्दसाजी या चमड़ा जिल्दसाजी में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** किसी मान्यताप्राप्त संस्था से जिल्दसाजी में प्रमाण पत्र।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** ऐसे कार्मिक जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन विहित अर्हताएं है। **टिप्पण 1.—** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.—** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. उप महानिरीक्षक, भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. कमांडेन्ट, भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप कमांडेन्ट या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत—तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कांस्टेबल (हैल्पर)	02* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड— 1; 5200—20200 रू0, + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)
18 से 25 वर्ष के बीच 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण.**— आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य सहित किसी मुद्रणालय में हैल्पर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :** ऐसे कार्मिक जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तम्भ (8) के अधीन विहित अर्हताएं है। **टिप्पण 1.**— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.**— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)	(14)
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :— 1. उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष 2. कमांडेन्ट, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य 3. उप कमांडेन्ट या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. I–12013/9/2009–संग.]

एस. सी. सिवाजी राव, उप–सचिव

(उप. सचिव, ~~भारत सरकार~~

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2010

G.S.R. 584(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force, Publication and Printing Cadre Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'B' and 'C' posts in the Publication and Printing Cadre in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force (Publication and Printing Cadre) Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, and Pay Band and Grade Pay/scale of pay.**— The number of said post, its classification and the pay band and grade pay/pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**— The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

2589 GI/10-3

5. **Disqualification.**— No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, Medical Manual shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of the rules.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service(Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Inspector (Editor)	01* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial).	PB-2, 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits
(7)
Between 20 to 25 years. 1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Degree from a recognised University or equivalent with Diploma in Printing from a recognised Institution	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption in grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(12)
By deputation: Officer holding equivalent or analogous posts in the Central or State Government Printing Press and possessing qualification prescribed under column (8). **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**— The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'B 'Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Inspector General or Deputy Inspector General,- Chairman Indo-Tibetan Border Police Force 2. Deputy Inspector General, - Member Indo-Tibetan Border Police Force (If not presiding over Departmental Promotional Committee) 3. Commandant, - Member Indo-Tibetan Border Police Force 4. Deputy Commandant or - Member Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Head Constable (Compositor)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', (Non-Ministerial)	PB-1, 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation/absorption

(12)
By deputation/ absorption: i) Personnel holding equivalent or analogous posts and having three years experience in a Printing Press; or ii) From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service. They should have atleast two years experience in composing work in printing press. **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman. 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member. 3. Deputy Commandant/ Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Head Constable (Feeder/ Machine Operator)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', (Non-Ministerial).	PB-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400.	Selection	Not applicable.	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation/ absorption

(12)

By promotion:

From amongst Constables(Helper) of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service and should have atleast two years experience in Feeding or Operation work in Printing Press.

Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation/ absorption:

i) Personnel holding equivalent or analogous posts and having three years experience in hand Feeding or operation of a printing press; or

ii) From amongst Constables of Indo-Tibetan Border Police Force with five years regular service. They should have atleast two years experience in Feeding or operation work of a printing press.

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

2589 GI/10-4

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Constable (Binder)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', (Non-Ministerial).	PB-1, 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000.	Not applicable	Not applicable

(7)
Between 18 to 25 years. 1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Passing of Matric or equivalent from a recognised Board or School with three years experience in Book Binding or Leather Binding work. **Desirable** Certificate in Book Binding from a recognised Institution.	Not applicable	Two years	By deputation/absorption failing which by direct recruitment

(12)
By deputation/ absorption: Personnel holding equivalent or analogous posts in the Central or State Government and having qualifications prescribed under column (8). **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Constable (Helper)	02* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', (Non-Ministerial).	PB-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000.	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits.

(7)

Between 18 to 25 years.

1. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note.— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradaesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)	(11)
Pass in Matric or equivalent from a recognised Board or School with one year experience as Helper in a Printing Press.	Not applicable.	Two years	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment.

(12)

By deputation/ absorption:

Personnel holding equivalent or analogous posts in the Central or State Government and having qualifications prescribed under column (8).

Note 1.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2.— The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. I.-12013/9/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.